**उत्तर प्रदेश शासन**

**वित्त (सेवायें) अनुभाग-2**

**संख्या-51/2021/एस-2-I/97100/दस-2021-10-21099/2481/2021**

**लखनऊ :: दिनॉक:: 13 सितम्बर, 2021**

**<u>कार्यालय-आदेश</u>**

**नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी अतिरिक्त वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-**

| क्र0 सं0 | अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती | पद व स्थान जिसका अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जा रहा है |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री अशोक कुमार सिंह, अपर निदेशक, पेंशन, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ। | अपर निदेशक, कोषागार, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। |
| 2 | श्री पूर्णदेव उपाध्याय, वित्त नियंत्रक, ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ। | वित्त नियंत्रक, सेंटर आफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेन्स (सी0बी0एम0आर), लखनऊ। |
| 3 | श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, वित्त अधिकारी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी। | वित्त अधिकारी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वराणसी। |
| 4 | श्री रत्नेश कुमार सिंह, सामान्य प्रबन्धक (वित्त), औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर। | संयुक्त निदेशक, पेंशन, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर। |

**2- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को 02 दिन में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।**

**प्रकाश बिन्दु**

**विशेष सचिव।**

**<u>संख्या-51/2021-एस-2-I/97100(1)/दस-2021,तददिनॉक</u>**

**प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

**1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,चिकित्सा शिक्षा/उच्च शिक्षा/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।**

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- निदेशक, सेंटर आफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेन्स (सी0बी0एम0आर), लखनऊ।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
4- कुल सचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वराणसी।
5- कुल सचिव, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
6- प्रबन्ध निदेशक, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
7- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
10- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/गोरखपुर/लखनऊ।
11- संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक, कोषागार।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( विद्या कुमार )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।